समक्ष :माननीय राजस्व मंडल म0प्र0 ग्वालियर

प्र0क0 /2017 निगरानी I/ निगरानी / छतरपुर / भू-रा / 2017 / 1827

अशीष शर्मा तनय रामनरेश शर्मा निवासी वजरंग नगर वार्ड नं 18 छतरपुर म.प्र.

..............आवेदक

विरूद्ध

1. श्रीमती कुलदीप कौर पत्नी सरदार प्रीतम सिंह कौर निवासी सिद्धगणेशन मार्ग मिशन अस्पताल के सामने वाली गली छतरपुर म.प्र0
2. चन्द्र भूषण तनय सरस्वती प्रसाद शुक्ला निवासी औसाई फर्नीचर नया पन्ना नाका छतरपुर
3. स्वामी प्रसाद तनय नन्हैलाल बरसैया निवासी केवी गुप्ता अंगीठी ढावा के सामने पन्ना
4. भूरिया काछी तनय मलखान काछी निवासी रेलवे कालोनी के पास पन्ना रोड छतरपुर
5. श्रीमती प्रगति पत्नी एसके गुप्ता निवासी केबी गुप्ता अंगूठी ठावा के सामने छतरपुर म.प्र.।

...........अनावेदक

श्री अनिल सिंह पाण्डेय द्वारा आज दि. 20-6-17 को प्रस्तुत

20.6.17
क्लर्क ऑफ कोर्ट
राजस्व मण्डल म.प्र. ग्वालियर

निगरानी अतर्गत धारा 50 म0प्र0 भू–राज्य सहिता 1959 विरूद्ध ~~तहसीलदार तहसील छतरपुर~~ अनुविभागीय अधिकारी छतरपुर के अपील क 152/अ–6/ 2015–16 मे पारित आदेश दिनांक 10.11.2016 के विरूद्ध निगरानी ।

अनिल सिंह पाण्डेय 20/6/17

माननीय महोदय ,

सेवा मे निगरानीकर्ता की ओर से निगरानी निम्न प्रकार है :–

<u>प्रकरण के प्रारम्भिक तथ्य –:</u>

XXXIX(a)-BR(H)-11

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश – ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण क्रमांक – एक / निगरानी / छतरपुर / भू.रा. / 2017 / 1827 **जिला** – छतरपुर

स्थान एवं दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
16.10.2017	आवेदक की ओर से अधिवक्ता श्री सुनील सिंह जादौन उपस्थित। उन्हें ग्राह्यता के बिन्दु पर सुना गया। यह निगरानी अनुविभागीय अधिकारी छतरपुर के आदेश दिनांक 10.11.2016 के विरुद्ध प्रस्तुत की गई है, जिसमें उन्होंने उनके समक्ष उत्तरवादी 3 क वारिसानों को रिकॉर्ड पर लाने तथा उत्तरवादी 5 के भोपाल में रहने के कारण अपीलान्ट को रजिस्टर्ड लिफाफा पेश करने आदि के निर्देश दिए हैं। तहसीलदार द्वारा की जा रही कार्यवाही में ऐसी कोई विधिक त्रुटि नहीं होती है। अतः यह निगरानी अग्राह्य की जाती है। अनुविभागीय अधिकारी उनके समक्ष लंबित प्रकरण का निराकरण यथाशीघ्र करें। प्रशासकीय सदस्य	